

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 475]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2014—आश्विन 17, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

शुद्धि-पत्र

अधि. क्र. 34-एफ-1-1-2013-अठारह-3.—नगरपालिक निगम जबलपुर की सीमा विस्तार के संबंध में इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई 2014 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 25 जुलाई 2014 के पृष्ठ क्रमांक 635 में प्रकाशित हुई है, के प्रथम पैरा में अंकित मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23, सन् 1956) की धारा 405 की "उपधारा (1)" के स्थान पर "उपधारा (3)" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.